न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 12/2019 जिला–अलवर।

1. कौशल किशोर शर्मा पुत्र स्वर्गीय फूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. विजय कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय फूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
3. पवन कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय फूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
4. श्रीमति शारदा देवी धर्मपत्नि स्वर्गीय फूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. यादराम शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामजीलाल शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. मुरारी लाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामजीलाल शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
3. राधेश्याम शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामजीलाल शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 07.06.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील 06/2017

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री श्याम सुन्दर सिंह।

निर्णय

दिनांक–20.09.2021

1. यह द्वितीय अपील उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 07.06.2019 के खिलाफ दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा शीर्षक अपील संख्या 06/2017 उनवान कौशल किशोर बनाम यादराम में पारित निर्णय दिनांक 07.06.201 के द्वारा अपील बाबत नामान्तकरण संख्या 51 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनुपर कैम्प मुण्डावर खारीज की गई।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन आदेंश दिनांक 07.06.2019 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2019 व नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनपुर कैम्प मुण्डावर निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 में दर्ज आराजी दुर्गाप्रसाद पुत्र गोविन्दसहाय के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मृतक दुर्गाप्रसाद रेस्पोडेंट के पिता रामजीलाल का सगा भाई था चूंकि मृतक दुर्गाप्रसाद नाऔलाद था इसलिये उसने अपने वंश को चलाने हेतु अपने भाई रामजीलाल के पुत्र अपीलांटान के पिता फूलचन्द को रामजीलाल की सहमति से गोद ले लिया था और गोद की समस्त रस्म अदा करने के पश्चात गोदनामा दिनांक 23.04.1968 को तहरीर व तकमील कराया गया जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय सब रजिस्टार मुण्डावर, अलवर द्वारा दिनांक 18.05.1968 को पंजीबद्ध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रामजीलाल जो कि दुर्गाप्रसाद का भाई था उसे प्राकृतिक वारिस मानने में अहम गलती की है। प्राकृतिक वारिस यदि दुर्गाप्रसाद के पुत्र व पुत्री होते तो वे प्राकृतिक वारिस की संज्ञा में आ सकते थे। लेकिन भाई प्राकृतिक वारिस की संज्ञा में नही आ सकता। क्योकि मृतक दुर्गाप्रसाद ने फूलचन्द को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लिया हुआ था और मृतक फूलचन्द अपने पिता दुर्गाप्रसाद के पास दत्तक पुत्र के हैसियत से रहकर उसकी चल च अवल सम्पति पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहा था। नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 कैम्प मुण्डावर में स्वीकार किया गया है और कैम्प मुण्डावर में संबंधित पक्षकरान को कोई नोटिस नही दिया गया और ना ही मृतक दुर्गाप्रसाद के वारिस की जांच की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन भी कानून के खिलाफ है कि अपीलांट को नियमित वाद उदघोषणा का करके अपने आप को गोद पुत्र साबित करना चाहिये। जबकि रेस्पोडेंट के पिता ने आज तक गोदनामे को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2019 व नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनपुर कैम्प मुण्डावर निरस्त किया जावे। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2010 आर.बी.जे. पेज 341 पेश किया है।

6. रेस्पोडेंटस् के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनपुर कैम्प मुण्डावर द्वारा मृतक दुर्गाप्रसाद के भाई रामजीलाल के नाम हुआ है और रामजीलाल के फोत होने पर उसके चारो पुत्रो के नाम स्वीकार किया गया है जो विधिसम्मत है। अपीलांटस् द्वारा गोदनामे को आधार बनाया गया है जबकि गोदनामा के आधार पर इन्हे अपने अधिकार मूल वाद के जरिये तय करवाने चाहिये। नामान्तकरण के जरिये गोदनामा के आधार पर इनके कोई राईट्स तय नही हो सकते। चूंकि दुर्गाप्रसाद नाऔलाद फोत हो गया था इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय विवादित इंतकाल नियमानुसार मृतक दुर्गाप्रसाद के भाई रामजीलाल के नाम स्वीकार किया था। अपीलांटस् द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 51 की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील 30 वर्ष पश्चात मियाद बाहर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनपुर कैम्प मुण्डावर के संबंध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांटस् खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार दुर्गाप्रसाद पुत्र गोविन्दसहाय की विरासत के नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनुपर कैम्प मुण्डावर के संबंध में है। अपीलांटस् के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के समक्ष अपील पेश कर नामान्तकरण संख्या 51 में वर्णित आराजी दुर्गाप्रसाद पुत्र गोविन्दसहाय के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। दुर्गाप्रसाद के कोई बच्चा न होने से दुर्गाप्रसाद ने अपीलांट 1 लगायत 3 के पिता व अपीलांट नं. 4 के पति फूलचन्द जो रामजीलाल का पुत्र था को गोद लिया था तथा गोदनामा दिनांक 18.5.1968 को निष्पादित किया गया था। फुलचन्द, दुर्गाप्रसाद के साथ दत्तक पुत्र होने के नाते रिहाश करता था परन्तु रामजीलाल ने जो कि दुर्गाप्रसाद का भाई है ने अपने नाम दुर्गाप्रसाद का विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जो गलत है। ग्राम पंचायत ने भी दुर्गाप्रसाद की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय फूलचन्द दत्तक पुत्र को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया ओर कोरम अपूर्ण होने पर भी नामान्तकरण विरासत निर्णित कर दिया। इसलिये दुर्गाप्रसाद की विरासत का नामान्तकरण निरस्त करते हुये अपीलांट के नाम दर्ज व तस्दीक करने की प्रार्थना किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2019 पारित कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील बाबत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण संख्या 51 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनुपर कैम्प मुण्डावर खारीज की गई।

8. हम समझते हैं कि अपीलांटस् द्वारा गोदनामे को आधार बनाया गया है जबकि गोदनामा के आधार पर इन्हे अपने अधिकार मूल वाद के जरिये तय करवाने चाहिये। नामान्तकरण के जरिये गोदनामा के आधार पर इनके कोई राईट्स तय नही हो सकते। चूंकि दुर्गाप्रसाद नाऔलाद फोत हो गया था इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय विवादित इंतकाल नियमानुसार मृतक दुर्गाप्रसाद के भाई रामजीलाल के नाम स्वीकार किया था जो फूलचन्द का प्राकृतिक पिता है तथा उसके उपरान्त रामजीलाल की मृत्यु होने पर उसका विरासत का नामान्तकरण फूलचन्द व उसके तीन अन्य भाईयो के नाम स्वीकार हुआ है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि नामान्तकरण एक Fiscal entry है तथा नामान्तकरण के संबंध मे पारित आदेश के विरूद्ध अपील के पक्षकारो के स्वत्व एवं अधिकारो को अंतिम रूप से निस्तारण नही किया जा सकता है। अपीलांटस् द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 51 की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 29 वर्ष पश्चात मियाद बाहर पेश की गई है तथा नामान्तकरण की जानकारी प्रथम अपील पेश करने से लगभग 40 दिन पूर्व नकल प्राप्त होना बताया गया है। उक्त तथ्य स्वीकार नही किया जा सकता है क्योकि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 29 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अवधि में अपीलांट् को विवादित नामान्तकरण की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही हैं साथ ही मृतक दुर्गाप्रसाद व रेस्पोडेंट के पिता रामजीलाल सगे भाई है तथा अपीलांटस् के पिता फूलचन्द रेस्पोडेंट के पिता रामजीलाल के पुत्र है इस कारण भी विवादित नामान्तकरण की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही है। इस प्रकार प्रकरण मृतक खातेदार दुर्गाप्रसाद पुत्र गोविन्दसहाय की विरासत के नामान्तकरण का होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा सम्पूर्ण विवेचन उपरान्त एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टातो में प्रतिपादित सिद्वांतो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2019 पारित कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील बावत नामान्तकरण संख्या 51 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनुपर कैम्प मुण्डावर खारीज की गई है जो उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित करना नही पाया जाता है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनुपर कैम्प मुण्डावर में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2019 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है एवं अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा अपील संख्या 06/2017 में नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 24.06.1976 ग्राम पंचायत मैनुपर कैम्प मुण्डावर के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

20/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/2021.

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner